निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 25/2025
दायरा दिनांकः–27.03.2025
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1.विमलेश कुमारी आयु 62 वर्ष पुत्री कन्नु पत्नि रमेश जाति कुम्हार निवासी ग्राम मवासा दोला तहसील छबडा जिला बारां हाल निवासी बारां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भँवर सिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 39 की खसरा संख्या 15/2 की रकबा 1.9096 हैक्टयर भूमि वाके माल मवासादोला तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 स्थित है, इसी प्रकार खाता संख्या 40 की खसरा संख्या 114 की रकबा 0.6829 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146 की रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता की रकबा 1.1255 हैक्टयर भूमि वाके माल मवासादोला तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/16 स्थित है। जो दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है। जिनकी वर्तमान जमाबंदींया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। 2. प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपने हिस्से की भूमियो पर गत् कई वर्षों काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के स्व. पिता कन्नू का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीया का नाम फौती इन्तकाल मे विमलेश कुमारी के स्थान पर घर मे बोलता नाम विमला दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम विमलेश कुमारी है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर विमला के स्थान पर विमलेश कुमारी किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड बैंक डायरी आदि सभी दस्तावेजात मे प्रार्थीया का नाम विमलेश कुमारी दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम विमला दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे ...ति भूमि के खातो पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर ...रफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्यें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मवासादोला तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 39 नकल जमाबन्दी ग्राम मवासादोला तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 40 पेश की गई फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मवासा दोला तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/8 व 1/16 हिस्सा दर्ज है प्रार्थीया के पिता कन्नू फोती नामान्तरण खोलते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम इन्तकाल में विमला दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम विमलेश कुमारी है। प्रार्थीया के अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम विमलेश कुमारी दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विमला के स्थान पर विमलेश कुमारी दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम मवासा दोला में मजमें आम उपस्थित हुआ मौके पर प्रार्थीया विमलेश कुमारी की मॉ लाली बाई मौजूद थी जिसने बताया की उसकी पुत्री का सही नाम विमलेश कुमारी है एवं बोलता नाम विमला बाई है। प्रार्थीया को गांव में दोनो ही नामों से जाना जाता है। इस नाम की उक्त गांव में अन्य कोई महिला नही है उपस्थित अन्य मौतविरान ने भी यही बताया की विमला बाई व विमलेश कुमारी एक ही महिला है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मवासा दोला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 39 में सह खातेदार विमला पुत्री कन्नू हिस्सा 1/8 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम मवासा दोला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 40 में विमला पुत्री कन्नु हिस्सा 1/16 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड जन आधार कार्ड पेन कार्ड बैंक पास बुक में प्रार्थीया का नाम विमलेश कुमारी दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजात में सही है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विमला गलत दर्ज है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा अन्य दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विमला के स्थान विमलेश कुमारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम मवासा दोला खाता सख्या 39 के खसरा नम्बर 15/2 रकबा 1.9096 है0 खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 114 रकबा 0.6829 है0 खसरा नम्बर 146 रकबा 0.4426 है0 में प्रार्थीया का नाम विमला के स्थान पर विमलेश कुमारी करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा